

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

:: मंत्रालय ::

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

-:: आदेश ::-

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 27/12/2022

क्रमांक एफ 22-36/2022/20-दो (पार्ट-2) :::: राज्य शासन, एतद् द्वारा, विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवायें प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ करने हेतु कॉलम-04 में अंकित संचालन एवं प्रबंधन समिति, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिन्दी माध्यम विद्यालय को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सौंपता है:-

क्र.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	वर्तमान कार्यरत संस्था	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिन्दी माध्यम विद्यालय का नाम
1	2	3	4
1	श्रीमती शशिप्रभा सोनवानी, शिक्षक	शास0उ0मा0वि0 हटकेशर जिला धमतरी	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिन्दी माध्यम विद्यालय हटकेशर जिला धमतरी
2	श्री खिलेन्द्र साहू, व्यायाम शिक्षक	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालक कुरुद जिला धमतरी	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिन्दी माध्यम विद्यालय हटकेशर जिला धमतरी
3	श्रीमती गायत्री सोनकर, भृत्य	शासकीय हाईस्कूल भोथापारा वि.खं नगरी जिला धमतरी	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिन्दी माध्यम विद्यालय हटकेशर जिला धमतरी

2/ प्रतिनियुक्ति की अवधि अधिकतम 4 वर्षों की होगी एवं निर्धारित अवधि के पूर्व प्रतिनियुक्ति की सेवायें वापस करने के लिए राज्य शासन से सहमति प्राप्त किया जाना होगा।

3/- प्रतिनियुक्ति की अन्य सेवा शर्तें विभागीय आदेश क्रमांक एफ 12-7/2021/20-दो, दिनांक 25.02.2021 के अधीन होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(पुलक भट्टाचार्य)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ0क्र0 एफ 22-36/2022/20-दो (पार्ट-2), नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 27/12/2022
प्रतिलिपि :-

1. संबंधित संभागायुक्त.....(छ.ग.)।

2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर

3. अध्यक्ष, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिन्दी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति
.....जिलाएवं कलेक्टर ।
इनकी पदस्थापना आदेश जारी करते हुए विभाग को अवगत करावें।
 4. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मान. मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर ।
 5. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, छ0ग0 शंकरनगर रायपुर, छ0ग0,
 6. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण कार्यालय, (छ.ग.)।
 7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी..... (छ.ग.)।
 8. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, छ.ग.
 9. संबंधित प्राचार्य..... ।
 10. संबंधित कर्मचारी..... ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
11. स्टॉक फाईल ।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग